

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 370]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जून 2018—आषाढ़ 8, शक 1940

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2018

क्र. एफ 22-18-2017-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 68 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-4-90-आठ, दिनांक 25 मई 1999 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, संपूर्ण राज्य में उक्त धारा की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शक्तियों तथा कृत्यों का प्रयोग एवं निर्वहन करने के लिये निम्नलिखित अधिकारियों से मिलकर बनने वाले राज्य परिवहन प्राधिकार का, तत्काल प्रभाव से पुनर्गठन करती है, अर्थात् :—

अधिकारी

- | | |
|---|-----------|
| 1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
परिवहन विभाग. | — अध्यक्ष |
| 2. परिवहन आयुक्त | — सदस्य |

F. No. 22-18-2017-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), and in supersession of this department's Notification No. F 6-4-1990-VIII, dated 25th May, 1999, the State Government hereby, reconstitutes with immediate effect, the State Transport Authority consisting of the following officials to exercise and discharge the powers and functions specified in sub-section (3) of the said section throughout the State, namely :—

OFFICIALS

- | | |
|---|------------|
| 1. Principal Secretary,
Government of Madhya Pradesh,
Transport Department. | — Chairman |
| 2. Transport Commissioner | — Member |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कमल नागर, उपसचिव.